



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-29

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 246048 दिनांक 01/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Dinesh Kumar Malawat S/o ROOP SINGH SANSI	पदमा वासदेव पुत्र स्व. वासदेव जियन्दानी	153	207.11 SQ. YARD	Cooperative	BUDH VIHAR (TOPKHANA DESH GNSS) Sector/Block-B	Sub Division and Reconstitution	पखानादेस गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बुद्ध विहार के भूखण्ड संख्या बी-153 क्षेत्रफल 207.11 व.ग. की लीजडीड दिनांक 29.08.2016 को पदमा वासदेव पुत्र स्व. वासदेव जियन्दानी के नाम से जारी की गयी है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2018 को पदमा वासदेव पुत्र स्व. वासदेव जियन्दानी द्वारा एचआर कन्स्ट्रक्शन जरिये पार्टनर हरीश चंद कपूर पुत्र डीआर कपूर को कर दिया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड कुल क्षे. 207.11 व.ग. में



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

से पूर्वी हिस्सा क्षे.
107.11 वग. का
बेचान जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
14.02.2019 को
एचआर कन्स्ट्रक्शन
जरिये प्रोपराईटर
हरीश चंद कपूर
पुत्र डीआर कपूर
द्वारा सुनील
कुमार राघव पुत्र
बिहारी लाल यादव
को कर दिया।
तत्पश्चात् उक्त
भूखण्ड के पूर्वी
हिस्सा क्षे.
107.11 वग. का
बेचान जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
15.04.2021 को
सुनील कुमार
राघव पुत्र बिहारी
लाल यादव द्वारा
दिनेश कुमार
मालावात पुत्र रूप
सिंह को कर
दिया। आवेदक श्री
दिनेश कुमार
मालावात द्वारा
भूखण्ड संख्या
बी-153 कुल क्षे.
207.11 व.ग. में
से पूर्वी हिस्सा क्षे.
107.11 वग. का
उपविभाजन किये
जाने हेतु आवेदन
किया गया है।
उक्त भूखण्ड के
मूल दस्तावेज बैंक
में रहन है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Dinesh Kumar Malawat S/o ROOP SINGH SANSI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।